656 किमी सड़कों का पथ निर्माण विभाग करेगा अधिग्रहण

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के दूसरे विभागों के अधीन 49 सड़कों का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) करेगा। इससे 656 किमी सड़कों की चौड़ाई बढ़ जाएगी। साथ ही, उनका निर्माण नए सिरे से पथ निर्माण विभाग के मापदंड के अनुसार होगा।

विभाग के इस फैसले से 20 जिलों को लाभ होगा। अधिग्रहण में शामिल सबसे अधिक आठ सड़कें पटना जिले की हैं। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने राज्य की 132 सड़कों के अधिग्रहण का प्रस्ताव विभाग के अधिकारियों के सामने रखा था। इनमें 14 सड़कों का अधिग्रहण पहले कर लिया गया है।

अब विभाग ने और 49 सड़कों के बारे में फैसला किया है। इनमें अधिसंख्य सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग की हैं, तो कुछ नगर निकायों के अधीन की सड़कें भी हैं। अधिग्रहण के बाद इन सड़कों को दो लेन का बनाया जाएगा। कम से कम इनकी चौड़ाई दो लेन की होगी। अभी ये सभी सिंगल लेन की हैं। जिन सड़कों के अधिग्रहण का फैसला हुआ है, उनमें सबसे अधिक आठ पटना जिले की हैं। वैशाली, नवादा, सुपैल, बेगूसराय, मधेपुरा, छपरा, जमुई, शेखपुरा, बक्सर और सहरसा की एक-एक सड़कें हैं। इसके अलावा पूर्णिया की दो, गोपालगंज की तीन, मधुबनी की दो, पूर्वी चम्पारण की तीन, कैमूर की पांच, गया की तीन, औरंगाबाद की तीन, समस्तीपुर की तीन और दरभंगा की तीन सड़कें ली गई हैं।

बढ़ेगी चौड़ाई

- पटना की आठ समेत बीस जिलों की 49 सड़कें हैं सूची में
- विभाग के मानदंड के अनुसार नए सिरे से होगा इनका निर्माण

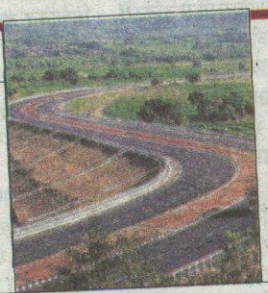

अधिग्रहण के लिए तय मापदंड

राजधानी क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की 8.5 मीटर चौड़ी सड़कों का अधिग्रहण होता है, लेकिन अभी इसको छह मीटर किया गया है। शर्त यह है कि आगे इसकी चौड़ाई बढ़ाने की संभावना हो। ऐसे पथ जो दो एनएच को जोड़ते हों या दूसरे जिला पथ को एनएच या एसएच से जोड़ते हों, विशेष परिस्थिति में पर्यटन, राज्य की सीमा से जुड़े पथों के लिए शर्तों में छूट दी जा सकती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्तावित दूसरे चरण में उन्नयन के लिए स्वीकृत सड़कों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।